

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेड़ा, जिला- भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व गोरखा

भू अभिलेख निरीक्षक गोरखा

की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार

करेड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गोरखा पटवार हल्का गोरखा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी सम्वत् 2073 + 0 2076 में खाता संख्या 509 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क्र. स. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)     | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------|-------------|--------------------------------|--|
| 1       | 2     | 3           | 4                              | 5  |
| 1       | गोरखा | 509         | गोगू 510 लखमण उर्फ लच्छू कलाडी | गोगू 510 लखमण उर्फ लच्छू कलाडी                               |

उपखंड अधिकारी पदेन  
उपखंड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर करेड़ा  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 15/6/22

क्रमांक/न्यायालय /2022/113

प्रतिलिपि:-

1- तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2- प्रार्थी श्री गोगू 510 लखमण उर्फ लच्छू कलाडी

2022/345

उपखंड अधिकारी पदेन  
उपखंड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर करेड़ा  
करेड़ा जिला भीलवाड़ा